राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 248/2010/चित्तौड़गढ.

मैसर्स श्याम सिंह चौहान, चित्तौड़गढ. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. के. गंगवानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 212/आरएसटी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत् कर निर्धारण वर्ष 2005–06 के लिये पारित आदेश दिनांक 31.07.2008 में किये गये करारोपण को आंशिक रूप से ही अपास्त किये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी एक संविदाकर्ता व्यवसायी है जिनके द्वारा वर्ष 2005–06 में सड़क कार्य में किये गये संविदा कार्य में उपयोग हेतु बिटुमिन की अन्तर्राज्यीय खरीद पर राज्य के भीतर ठेके कार्य में प्रयुक्त किया गया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा ठेके कार्य को किये जाने के दौरान अपंजीकृत व्यवसाईयों से कुछ माल की खरीद बतायी थी उसमें कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के वृद्धि करते हुए बढ़ाई गई अतिरिक्त खरीद की बिक्री मानकर करारोपण कर दिया था। इन दोनों ही तहर के अतिरिक्त करारोपण को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कार्य संविदा में प्रयुक्त एवं हस्तान्तरित माल पर किये गये करारोपण को विधिसम्मत मानते हुए यथावत रखा एवं अपंजीकृत खरीद पर किये गये करारोपण में खरीद की वृद्धि को आधा करते हुए उस सीमा तक करारोपण को यथावत रखा जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....4

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में माल की खरीद घोषणा पत्र 'सी' के समर्थन के पश्चात् बिटुमिन की खरीद कर उसका उपयोग ठेका कार्य में किया गया है उस पर करारोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि यह माल अन्तर्राज्यीय खरीद कर अवार्डर की साईट पर काम में लिया है ऐसी स्थिति में अन्तर्राज्यीय संव्यवहार पर करारोपण का अधिकार राज्य के पास नहीं होने से इस पर करारोपण अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. अपीलार्थी द्वारा संविदाकार्य के निष्पादन में बजरी, गिट्टी, मोरम एवं अन्य सामग्री का उपयोग करने के लिये जो अपंजीकृत व्यवसाईयों से खरीद की गई थी जो कुल रूपये 19,880/— थी जिसे बहियात में दर्शाया हुआ था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अनुमान के आधार पर इस खरीदी को कम मानकर रूपये 3,00,000/— की अपंजीकृत खरीद मानकर जो करारोपण किया गया व अनुचित एवं अविधिक है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल आधी राशि अर्थात रूपये 1,50,000/— पर करारोपण को यथावत रखा गया है जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधिसम्मत एवं तथ्यों पर आधारित है। अतः इसे यथावत रखने का तर्क देते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो माल राज्य के बाहर से खरीद किया गया है वह कर योग्य माल है अतः इस माल की खरीद किये जाने के पश्चात् उस माल का निष्पादन अवार्डर के दिये गये कार्य संविदा में हस्तान्तरण हुआ है जो विक्रय की परिभाषा में शामिल होने से करारोपण किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

6. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा सड़क के निर्माण हेतु जो कार्य संविदा प्राप्त की थी वह कुल रूपये 24,00,000/— की राशि थी। सड़क निर्माण में मुख्य रूप से गिटटी, मोर्रम एवं बिटुमिन का प्रयोग होता है परन्तु गिट्टी की खरीद जो कि आमतौर पर अपंजीकृत व्यवसायी से ही होती है उसकी खरीद केवल मात्र रूपये 48,278/— ही बतायी गई है जबकि इन माल का ट्रांसपोर्टेशन रूपये 3,00,000/— ही बताया गया है एवं कर चुका माल तथा कर योग्य कुल माल की खरीद रूपये 6,06,698/— ही बतायी गई है जो ठेका कार्य के प्रकृति को देखते हुए बहुत ही कम है, और इसी कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गिट्टी एवं मोर्रम की अधिक खरीद अवधारित करने के मानस के साथ अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया था परन्तु इसका कोई जवाब नहीं दिया गया कि इतने

लगातार.....3

बड़े कार्य में केवल मात्र रूपये 19,880/– की खरीद क्यों बतायी गयी है। अतः कार्य संविदा को देखते हुए रूपये 3,00,000/– की खरीद मानकर करारोपण किया जाना उ़चित था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त करारोपण में से केवल आधी राशि को ही यथावत रखा है जो अनुचित मानते हुए उस आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपील की गई थी जिसका निर्णय अपील संख्या 1345/2010/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 17.08.2011 को हो चुका है जिसमें अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। अतः उस आदेश के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील इस बिन्दु पर अस्वीकार की जाये।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवसायी एक ठेकेदार के रूप में पंजीकृत व्यवसायी है जिसके द्वारा आलौच्य अवधि में कुल रूपये 24,02,788/– का ठेका कार्य किया गया है जो सड़क के निर्माण से संबंधित है। इस कार्य के लिये अपीलार्थी द्वारा गिट्टी, बजरी, मोरम एवं बिटुमिन का उपयोग किया गया है तथा इस माल की खरीद राज्य के भीतर कर चुकाकर एवं अन्तर्राज्यीय खरीद भी की गई है। चूंकि अन्तर्राज्यीय माल अपीलार्थी द्वारा खरीद कर सड़क कार्य के संविदा निष्पादन में उपयोग कर इसका हस्तान्तरण अवार्डर को किया गया है जो कि अधिनियम की धारा 2(38)(ii) के तहत् विक्रय की परिभाषा में सम्मिलित होने से उस पर करारोपण किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की है इस संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स राकेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भीलवाड़ा अपील संख्या 2259/2007/भीलवाड़ा** के आदेश का हवाला देते हुए उचित आदेश पारित किया गया है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा इसी बिन्दु पर विभिन्न निर्णयों में यह अवधारित किया है कि अन्तर्राज्यीय क्रम में माल की खरीद पर उस माल का उपयोग कार्य संविदा में करने पर तथा उस माल का हस्तान्तरण अवार्डर को होने की दशा में उस पर करारोपण किया जाना विधिक अनिवार्यता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **सहायक आयुक्त, वर्क्स टैक्स बनाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया), जोधपुर के अपील संख्या 717/2008/जोधपुर में दिनांक 11.11.2013** को दिये गये निर्णय में पूर्ण विधिक विवेचना के साथ यह निर्णीत किया गया है कि अन्तर्राज्यीय माल की खरीद संविदाकर्ता द्वारा की जाकर उस माल का उपयोग कार्य संविदा में किया जाता है तथा ऐसा माल अवार्डर को हस्तान्तरित होता है उस स्थिति में वह विक्रय की परिभाषा में आता है अतः उसमें करारोपण किया जाना विधिक

लगातार.....4

अनिवार्यता है। इसी तरह अन्य निर्णय **सी.टी.ओ., बाड़मेर बनाम मैसर्स भवनपथ निर्माण अपील संख्या 26/2008/बाड़मेर आदेश दिनांक 25.11.2011** एवं **सहायक आयुक्त, वर्क्स टैक्स जोधपुर बनाम मेघराज गहलोत 45 टैक्स अपडेट पेज 264** में भी अवधारित किया जा चुका है कि अन्तर्राज्यीय माल की खरीद कर राज्य के भीतर के संविदाकार्य द्वारा उस माल का उपयोग संविदा कार्य में किये जाने पर वह अधिनियम में प्रदत्त विक्रय की परिभाषा में सम्मिलित होने से करारोपण करना विधिसम्मत है अतः इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा करारोपण को यथावत रखने में कोई भूल नहीं की है अतः उसकी पुष्टि की जाती है।

8. अपीलार्थी द्वारा दूसरा बिन्दु यह उठाया गया है कि उनके द्वारा सड़क निर्माण कार्य में गिटटी, बजरी एवं बोल्डर आदि की खरीद जो भी की गई थी उसे लेखा–पुंस्तकों में दर्शाया गया है एवं इसे बिना किसी आधार के बढ़ाते हुए जो रूपये 3,00,000/– पर करारोपण किया गया है तथा उसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा भी आधी वृद्धि को ही यथावत रखा गया है व अनुचित है। इस बिन्दु पर निर्णय के पूर्व कर निर्धारण पत्रावली का अवलोकन किया गया। तब पाया कि अपीलीय अधिकारी के अपील संख्या 212/आरएसटी/2008–09 में किये गये आदेश से अपीलार्थी के साथ ही विभाग द्वारा भी असंतुष्ट होने से माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपील की गई थी जो अपील संख्या 1345/2010/चित्तौड़गढ़ के रूप में पंजीकृत हुई एवं विभाग की अपील पर दिनांक 17.08.2011 को माननीय कर बोर्ड द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है जिसमें इस विवादित अपीलीय आदेश में अपंजीकृत व्यवसायियों की खरीद को बढ़ाते हुए जो करारोपण किया गया था उसे उचित मानते हुए पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित करते हुए विभाग की अपील स्वीकार कर दी गई थी अतः इस बिन्दु पर और विवेचन की आवश्यकता नहीं रहती है एवं माननीय कर बोर्ड के आदेश के आलोक में इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. फलतः अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

17/2/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य